राजकीय महाविद्यालय करौली (राज.)

विद्यार्थी आदर्श आचार संहिता

1. महाविद्यालय में कोई भी विद्यार्थी रेगिंग सम्बन्धी गतिविधि में न तो शामिल होगा और न ही प्रोत्साहित या समर्थन करेगा। ऐसा करना दण्डनीय अपराध है। (UGC Regulation on Curbing the Menance of Ragging in HEI 2009)
2. महाविद्यालय केम्पस तथा कक्षाओं में छात्र/छात्राओं द्वारा किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता या अभद्रता बर्दाश्त नहीं होगी। ऐसे विद्यार्थियों का प्रवेश प्राचार्य द्वारा निरस्त किया जा सकता है।
3. महाविद्यालय परिसर में प्रत्येक विद्यार्थी को परिचय पत्र लेकर आना अनिवार्य है।
4. कालांश रिक्त होने पर छात्र/छात्राऐं महाविद्यालय पुस्तकालय में जाकर अध्ययन कर सकते है। कक्षा-कक्षों के आगे अनावश्यक खड़े रहकर भीड़ करना/ बातें करना निषेध है।
5. कक्षाओं में पूर्ण शांति बनाये रखें तथा मनोयोग से पढ़ाई करें।
6. पुस्तकालय की पुस्तकों को समय पर वापस लौटाऐं तथा उन्हें क्षतिग्रस्त न करें । इसे राष्ट्र की सम्पति समझें।
7. महाविद्यालय परिसर धूम्रपान निषेध क्षेत्र है। इसमें धूम्रपान करना दण्डनीय अपराध है।
8. परिसर में दीवारों को थूक कर या लिख कर गन्दा नही करें। राष्ट्रीय स्वच्छता की भावना का आदर करें। कूड़ा-करकट कूड़ादान में ही डाले।
9. छात्रसंघ चुनाव के दौरान निर्धारित स्थान पर ही प्रचार सामग्री का प्रदर्शन करें। अन्य स्थानों को गन्दा नहीं करें। चुनाव आचार संहिता का पूर्ण पालन करें।
10. महाविद्यालय उद्यान/लॉन में फूल तोड़ना मना है। पौधों को नुकसान नहीं पहुचाऐं। परिसर को हरा, भरा, स्वच्छ व पर्यावरण मित्र बनाना विद्यार्थियों की महती जिम्मेदारी है।
11. परीक्षा में नकल विरोधी अधिनियम 1992 का सख्ती से पालन करें। (राजस्थान सरकार गजट नोटिफिकेशन दिनांक 11.11.1992)
12. कक्षाओं में नियमित तथा समय पर उपस्थित हों। 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति होने पर विद्यार्थी परीक्षाओं में नहीं बैठ पायेगें।
13. महाविद्यालय परिसर की सम्पूर्ण आधारभूत संरचना राष्ट्रीय सम्पति हैं। इसे क्षति न पहुँचाऐ
14. वाहन, वाहन स्टेण्ड पर ही खड़ा [illegible]
15. देशभक्त व अच्छे नागरिक बनें।

प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय करौली